उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 310 /ix/195/2008
देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 8 सपठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) " अधिनियम" से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;
(ख) " अध्यक्ष"से, अध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि अभिप्रेत है;
(ग) " सदस्य सचिव " से सदस्य सचिव, राहत निधि अभिप्रेत है;
(घ) " वर्ष "से वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;
(ड़) " राज्य सरकार " से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(च) " नियमावली " से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003, अभिप्रेत है;
(छ) " निधि " से मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित " उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि " अभिप्रेत है;
(ज) "परिवहन आयुक्त" से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

टिप्पणीः–इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के अर्थ वही होगे, जो उनके लिये उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 या उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में दिये गये है।

निधि का गठन

3. निधि का गठन अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (3) के अधीन उद्गृहीत, अधिभार और धारा 6 की उप धारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि जमा करते हुए किया जायेगा।

राहत की हकदारी

4. (1) किसी सार्वजनिक सेवायान, जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त कर या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिभार का भुगतान किया जा चुका है, के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीडित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत के हकदार होगे।

(2) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में उपनियम (1) के अधीन राहत की मात्रा ऐसी होगी, जैसी नियमावली के नियम 30 के उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ प्रतिस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

निधि का प्रशासन

5. (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी, जो निधि के कार्यकलापों का प्रबंध करेगी एवं अधिनियम एवं नियमावली एवं इस नियमावली के अधीन या उनके द्वारा सौंपे गये कार्यो का निष्पादन करेगी।

(2) कार्यकारिणी अपने कृत्यों, का दक्षतापूर्वक निर्वहन परिवहन आयुक्त कार्यालय के उपलब्ध कर्मचारिवृन्दों से करायेगी। कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नवत होगा –

(एक) परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष

(दो) अपर परिवहन आयुक्त या मुख्यालय पर तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न अधिकारी, जब अपर परिवहन आयुक्त उपलब्ध न हो अथवा पद रिक्त हो – सदस्य–सचिव

(तीन) संबंधित जिले से सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य

(चार) संबंधित जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य

(पांच) परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा कोई नामित विभाग का वित्त सेवा का कोई अधिकारी – सदस्य

कार्यकारिणी की बैठक

6. नियम 5 के उप नियम (2) के अनुसार गठित कार्यकारिणी की बैठक हेतु एक सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य–सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। बैठक की गणपूर्ति 03 होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं वित्त सेवा के सदस्य सम्मिलित होने आवश्यक होगे।

निधि का रख रखाव

7. निधि का रख–रखाव परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय मे होगा।

कार्यालय निधि का वित्त पोषण

8. (1) कार्यकारिणी के प्रबंधन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा, जो नियमावली के नियम 31 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शासित होगा।

(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, कराधान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दुर्घटना राहत निधि में अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राहत निधि द्वारा नियमावली के नियम 31 में निहित प्राविधानों के अनुरूप, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुतियॉ प्राप्त होने पर ऐसी निधि से राहत की धनराशि स्वीकृत कर ड्राफ्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा राहत के हकदार व्यक्तियों में वितरित की जायेगी। बैंक खाते में अर्जित ब्याज, उक्त निधि का भाग माना जायेगा। उक्तानुसार निधि के मूलधन व ब्याज की धनराशि नियमावली के नियम 5 एवं 10 के अनुसार वर्णित कार्यो के लिए उपयोग की जायेगी।

लेखा सम्परीक्षा

9. कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा के लिए एक लेखा–परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा–परीक्षक अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है, तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

प्रतिवेदन

10. कार्यकारिणी उस समय के पूर्व, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मांगने की शक्ति

11. राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सूचनाएं एवं लेखे मांग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से संतुष्ट करने के लिये आवश्यक हों, एवं कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल राज्य सरकार को सूचनाएं एवं लेखे प्रस्तुत करेगी।

कार्यकारिणी को उप विधियां बनाने की शक्ति

12. कार्यकारिणी को इस अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, अपने कारबार के संचालन को विनियमित करने के लिये उप विधियां बनाने की शक्ति होगी।

नियमों के प्रवर्तन में कठिनाईयों का दूर किया जाना

13. नियमावली के प्राविधानो के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कठिनाई दूर कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हो।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पंवार)
सचिव